2114 | SCTT-IV
25.10.23

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 36/2023-State Tax

Dated: 20/10/2023

No. F.3 (15)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 917 — In exercise of the powers conferred by section148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons paying tax under section 10 of the said Act(hereinafter referred to as the said person),namely:—

(i) The electronic commerce operator shall not allow any inter-State supply of goods through it by the said person;

(ii) the electronic commerce operator shall collect tax at source under sub-section (1) of section 52 of the said Act in respect of supply of goods made through it by the said person and pay to the Government as per provisions of sub-section (3) of section 52 of the said Act; and

(iii) the electronic commerce operator shall furnish the details of supplies of goods made through it by the said person in the statement in **FORM GSTR-8** electronically on the common portal.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

5371/CRU
23/10/23
SC(Policy) scan

e-1368816/SGST
25/10/23

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp.- I)

No. F.3 (15)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 917 **Dated: 20/10/2023**

AC(Policy)

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

616(P)
26/10/23

Scanned with CamScanner

7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp.- I)

Scanned with CamScanner

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या– 36/2023–राज्य कर

दिनांकः 20/10/2023

सं.फा.03(15)/वित्त(व्यय–I)/2023–24/डीएस–I/917 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद की सिफारिशों पर , इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक को अधिसूचित करती है जिससे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थातः–

(i) इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की किसी अंतर–राज्यीय पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा ;

(ii) इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करेगा और उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार सरकार को संदाय करेगा ; और

(iii) इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररुप **जीएसटीआर–8** में विवरण के रूप में प्रस्तुत करेगा।

2– यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय– I)

सं.फा.03(15)/वित्त(व्यय–I)/2023–24/डीएस–I/917 दिनांकः 20/10/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली

Scanned with CamScanner

सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 विशेष सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय– I)

Scanned with CamScanner